

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

.....राजेश कुमार दीबडा..... वनाम.....राजेश राज्य गरिब तहसील..... 2

किस्म मुकदमा.....राजेश..... नं०.....02/2021 सन्.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
27 ⁰² 2025	<p>पत्रावली पेश हुई वकील डिहीदार व पैरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी। बहस पर मकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार व पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का इक्विलोक कर गहनता से मकन किया गया। रिपोर्ट अनुसार व स्वलोक स्वगत आदेश अनुसार उक्त प्रकरण के मागनीय न्यायालय राजस्व मण्डल आजमेर द्वारा आगामी नियत दिनांक तक विवादस्थल करार की मोकने व रिजर्डी की अधीनस्थिति के स्वगत आदेश पारित किया गया है अतः ऐसी स्थिति में इस न्यायालय से किसी प्रकार की आग्रिम कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में मागनीय न्यायालय राजस्व मण्डल आजमेर से आगामी आदेशों तक उक्त राजस्व प्रकरण को पेन्डिंग रखा जाता है। पत्रावली में आगामी आदेशों के पश्चात आग्रिम कार्यवाही होगी है। अतः पत्रावली के कार्यवाही पेन्डिंग शरते हुए इस न्यायालय के फैसल सुमार लेकर पत्र रजिस्टर से निकली जाकर पत्रावली शामिल दफ्तर है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

